

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of Regional controller of mines

2nd Floor, GSI FTC, AG office Complex

Post- Vidhan sabha, Raipur (CHG)-492005

Telefax-0771-2282530 / 2285595

[Email-ro.raipur@ibm.gov.in](mailto>Email-ro.raipur@ibm.gov.in)

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
दूसरी मंजिल, जी०एस०आई० फौल्ड प्रशिक्षण केन्द्र,
महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधानसभा,
रायपुर -छ.ग.)-492005,
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595,

No- CHG/DRG/LST-10

खान कोड - 38MPR13008

दिनांक - 23/06/2021

प्रेषित श्री वैभव दीक्षित, (खान एजेंट)

मेसर्स एसीसी लिमिटेड,

जमुल सीमेंट वर्क्स,

पो. - जमुल सीमेंट वर्क्स

तहसील- धामदा

भिलाई, जिला. -दुर्ग -490 024 (छ.ग.)

ईमेल: vaibhav.dixit@acclimited.com, radheshyam.ray@acclimited.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के Durg जिले में स्थित आपकी Pathariya -I Limestone Mine, 36.01 हे. मे खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 15/06/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

नियम	उलंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 35 (2)	The softcopy (in the standard format), of high-resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.
Rule 45 (5) (c)	While scrutiny of the annual return 2020-21, It is observed that Part -V Reserves and resources estimated at the end of year is not correct. which needs to be corrected.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7)(c) के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for Information please By email

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर—440001
- 2 उप—महानिदेशक सांखिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर —440001
- 3 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर